भारतीय कुश्ती संघ
Wrestling Federation of India
Affiliated to : Ministry of Youth Affairs & Sports, Govt. of India
Indian Olympic Association
United World Wresting

राष्ट्रीय शिविर नीति

- सभी पहलवानों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य होगा। तथा राष्ट्रीय शिविर के लिए उन्हीं पहलवानों का चयन होगा जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता हो।
- प्रत्येक पहलवान समय पर राष्ट्रीय शिविर में रिर्पोट करेगा। यदि कोई पहलवान राष्ट्रीय शिविर शुरू होने के पश्चात (बिना किसी वजह के), एक दिन के अंदर रिर्पोट नही करता है, तो भारतीय कुश्ती संघ दूसरे पहलवान का चयन करने के लिए बाध्य होगा।
- यदि कोई पहलवान मेडिकल के आधार पर 4 दिन का विश्राम करने के बाद भी अभ्यास करने में असमर्थ है, तो भारतीय कुश्ती संघ मेडिकल के आधार पर उस पहलवान को किसी अन्य पहलवान से बदलने के लिये बाध्य होगी ताकि शिविर में अन्य पहलवानो का अभ्यास प्रभावित ना हो।
- सभी पहलवानों को राष्ट्रीय शिविर से 2 दिन की छुट्टी लेने का प्रावधान होगा जिसके लिये पहलवान को पूर्व मे अर्जी देनी होगी। यह छुट्टीयां रविवार की छुट्टी के अतिरिक्त होगी।
- सभी पहलवानों को राष्ट्रीय शिविर मे ही रहना अनिवार्य होगा, यदि कोई पहलवान शिविर मे उपस्थित नही है तो भारतीय कुश्ती संघ उसको चयन प्रक्रिया मे भाग लेने की अनुमति नही देगा। यदि कोई पहलवान जिसकी उपलब्धि ऑलिम्पिक स्तर की है, उसको विशेष सुविधा मुहैया करवा सकती है।
- चयन प्रक्रिया के दौरान भारतीय कुश्ती संघ किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दोबारा चयन प्रक्रिया आयोजन करने के लिए निर्णय ले सकती है।
- चयन प्रक्रिया में केवल उन्हीं पहलवानों को अनुमति देगी जिसने वर्तमान वर्ष मे किसी एक प्रतियोगिता मे मेडल हासिल किया हो। यह प्रतियोगिता निम्न होंगी:–
    - राष्ट्रीय प्रतियोगिता
    - नेशनल रैकिंग प्रतियोगिता
    - फेडरेशन कप
- पिछली उपलब्धि के आधार पर किसी को भी चयन प्रक्रिया मे भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में ही भारतीय कुश्ती संघ किसी योग्य पहलवान को उसकी उपलब्धि के आधार पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये विचार कर सकती है।

(बृजभूषण शरण सिंह, सांसद)
अध्यक्ष

21, Ashoka Road, New Delhi-110001, Telefax : +91-11-23342551-52
E-mail : ind@unitedworldwrestling.org, Website : www.wrestlingfederationofindia.org

Donation exempted U/s 80-G, Vide No. DIT (E), 2002-W-142-02-939